	90. प्रशासक या सचिव जनजातीय कल्याण या उपायुक्त किसी पारित आदेश की वैधता या उपयुक्तता को खुद की संतुष्टि के लिए किसी अधिकारी या द्वीप परिषद के कार्यवाही अभिलेखों की मांग कर सकता है और जाँच कर सकता है तथा वह जैसा ठीक समझे आदेश में संशोधन या परिवर्तन कर सकता है ।	सचिव जनजातीय कल्याण या उपायुक्त कार्यवाही अभिलेखों की मांग कर सकता है ।
	अध्याय – VIII **जिला योजना समिति**	
	91. प्रशासक जिला के लिए इस तरह के विहित गठन के साथ उपायुक्त की अध्यक्षता में एक जिला योजना समिति गठित करेगा । द्वीप परिषदों के चीफ कैप्टन जिला योजना समिति के पदेन सदस्य होंगे ।	
	92. जिला परिषद समिति अपने क्षेत्राधिकार के अधीन उस क्षेत्र के विकास के लिए जिला के सरकारी विभागों तथा अन्य एजेंसियों की सहायता से पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजना तैयार करेगी । जिला योजना समिति के अध्यक्ष समिति की सिफारिश से जिला के विकास योजना को सचिव जनजातीय कल्याण के पास भेजेगा ।	
	93. जिला योजना समिति विहित अनुसार ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी ।	
	अध्याय – IX **निर्वाचन आयोग तथा वित्त आयोग**	
	94. (1) "अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्र में मतदाता सूची तैयार करने में निगरानी, निर्देशन तथा नियंत्रण के लिए और ग्राम परिषदों एवं द्वीप परिषदों के सभी निर्वाचन कराने के लिए अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (पंचायत) विनियम, 1994 की धारा 185 के तहत चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाएगा और इस धारा के तहत नियुक्त चुनाव आयुक्त को इस विनियम के उद्देश्य के लिए चुनाव आयुक्त समझा जाएगा ।"	निर्वाचन आयोग
	(2) प्रशासक को उप धारा (1) के तहत चुनाव आयुक्त को सौंपे गए कार्यों का निर्वहन के लिए यदि आवश्यक हो तो चुनाव आयुक्त को ऐसे कर्मचारियों को उपलब्ध कराना होगा ।	
	95. (1) अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (पंचायत) विनियम 1994 की धारा 186 के तहत गठित वित्तीय आयोग ग्राम परिषदों तथा द्वीप परिषदों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और निम्नलिखित अनुसार राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा :– (क) सिद्धांत जिसे शासित करना होगा । (i) कर, शुल्क, चुँगी तथा फीस का निर्धारण जिसे परिषदों द्वारा सौंपा अथवा विनियुक्त किया जा सकता है ।	